

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नं० 31/2021

प्रार्थी :- राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :- फती पत्नी हनीफ खां, मदीना गुडड़ी पुत्रीयां हनीफखां, नाबा की वली फती पत्नी हनीफखां, अलीखां, गफूरखां, फकीरखां पि. काम्भूखां मखणी पत्नी कांभूखां मला पुत्र बांकेखां सलीम गनी रोशन, कासम पि.सफी मदीना धोली पुत्रीयां सफी भीखू पत्नी सफी वली नसीर लादू पि. साकर वगै०

उपस्थित :- पैरोकार सरकार

आदेश


दिनांक :- 28.2.2022

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सड़क/ डामर सड़क जो राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। ग्राम बडनावा चारणान में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग(जो लागू नहीं) बडनावा से खसरा नम्बर 22 तक ग्रेवल से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम बडनावा चारणान में एक ग्रेवल सड़क/डामर सड़क /बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से ग्राम बडनावा चारणान के खसरा नं. 4, 6, 8, 24, 22 भूमि में उक्त ग्रेवल रास्ता चल रहा है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित विवरण अनुसार बडनावा से खसरा नम्बर 22 तक ग्रेवल सड़क रास्ता दर्ज करने का बडनावा चारणान निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सड़क/ डामर सड़क जो राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग में ले रहे हैं।




उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा



विप्रार्थी वगैरहा तहसीलदार पचपदरा के द्वारा सूचित किये जाने के बावजूद अनुपरिथत रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नहीं है। बाद विवेचन तहसीलदार पचपदरा की ओर से ग्राम बडनावा चारणान में एक ग्रेवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी मार्ग (जो लागू नहीं) बडनावा से खसरा नम्बर 22 तक ग्रेवल सड़क से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम बडनावा चारणान में एक ग्रेवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो बडनावा से खसरा नम्बर 22 तक ग्रेवल सड़क जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक वर्तमान में चल रहा है। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को संबंधित काश्तकारन की सहति अनुसार रास्ते के लिए जोड़ने हेतु स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर ग्राम ग्राम बडनावा चारणान में एक ग्रेवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो बडनावा से खसरा नम्बर 22 तक ग्रेवल सड़क से ग्राम बडनावा चारणान के खसरा नं. 4, 6, 8, 24, 22 भूमि में एक ग्रेवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी मार्ग प्रभावित प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ' में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।



(नरेश सोनी)
नरेश सोनी
भू-अभिलेख अधिकारी,
सुपरवाइजर अधिकारी,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय में को सुनाया गया ।

भू-अभिलेख अधिकारी,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
बालोतरा